

उत्तर प्रदेश शासन  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, अनुभाग-2  
ई आफिस संख्या- 9 /1921262/2021- File No:80-2099/36/2021-  
लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर,2021

**कार्यालय जाप**

प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं के त्वरित निवारण तथा प्रदेश से कृषि निर्यात बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने में तेजी लाने के लिए कार्यात्मक सुझावों हेतु 'कृषि निर्यात बन्धु' का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, 30प्र0 शासन। -अध्यक्ष
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद 30प्र0 -सदस्य
3. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ। -सदस्य
4. गन्ना आयुक्त, 30प्र0 द्वारा नामित भिन्न अधिकारी। -सदस्य
5. निदेशक, कृषि 30प्र0। -सदस्य
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0। -सदस्य
7. निदेशक, पशुपालन ( रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) -सदस्य
8. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 स्टेट हार्टीकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (हाफेड)। -सदस्य
9. क्षेत्रीय अधिकारी वाराणसी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। -सदस्य
10. चीफ एडवाइजर, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो), कानपुर। -सदस्य
11. अध्यक्ष द्वारा नामित/आमंत्रित औद्योगिक चैम्बर्स के प्रतिनिधि। -सदस्य
12. अध्यक्ष द्वारा नामित/आमंत्रित अन्य सदस्य। -सदस्य
13. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, 30प्र0। -सदस्य सचिव

उपर्युक्तानुसार गठित 'कृषि निर्यात बन्धु' की प्रत्येक दो माह में एक बैठक सप्तम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर स्थित सभागार में आयोजित की जायेगी।

ऋषिरेन्द्र कुमार  
विशेष सचिव

**पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपर्युक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सम्बन्धित सदस्यगण।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र० को उपर्युक्तानुसार बैठक व्यवस्थायें कराने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

ऋषिरेन्द्र कुमार  
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।